क्षेत्रों में रेल लाइनों के निर्माण के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा :

Working of M/s. Hoechst in India

4510. SHRI RAMESHWAR PATIDAR : Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that M/s. Hoechst India has been operating in this country for the last several years;

(b) whether it is also a fact that some of its shareholders belong to foreign countries ;

(c) if so, whether Government has permitted them to operate in this country and to take away their shares of profit to foreign countries; and

(d) whether Government have any proposal to Indianise the firm and if so by what time and if not, reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) to (c). Yes, Sir. Repatriation of profits is permitted in terms of the relevant statutory/regulatory provisions.

(d) The future role of all foreign companies operating in the field of drugs and pharmaceuticals, including M/s. Hoechst, will be determined in the context of the policy decision that would be taken on the recommendations of the Hathi Committee.

आल इण्डिया रेलवे मेन्स फेडरेशन का मांग-पत्र

4511. **श्री उशसेन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आल इण्डिया रेलवे मेन्स फेडरेशन द्वारा दिल्ली में अपने प्रदर्शन के बाद प्रस्तुत किये गये मांग-पत्र में उल्लिखित मुख्य मांगें क्या हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार उन्हें बोनस तथा वर्ष 1974 में हुई हड़ताल की अवधि का पूरा वेतन अदा करने का विचार है ।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) मांगपत्र में की गयी मांगें इस प्रकार हैं :

1(क) हड़ताल से संबंधित सभी दंडात्मक कार्रवाइयां और श्रमिक संगठनों में भाग लेने के कारण रेल कर्मचारियों का उत्पीड़त और प्रतिकूल प्रविष्ठियां पूर्वव्याप्ति —तारीख से वापस ले ली जायें;

(ख) मई, 1974 की हड़ताल के संबंध में सेवा से हटाये जाने और निलम्बन की अवधि को ड्यूटी माना जाये और उसका पूरा भुगतान किया जाये ;

(ग) हड़ताल की अवधि ड्यूटी मानी जाये और उसका पूरा वेतन दिया जाये ;

(घ) तथाकथित "निष्ठावान्" कर्मचारियों को दी गयी अतिरिक्त वेतन वृद्धि उन को भी स्वीकृत की जाये जिन्हें यह नहीं दी गयी है ताकि विभेद दूर किया जा सके;

2. एक माह के वेतन के बराबर बोनस (8.33 प्रतिशत);

3(क) सभी रेल कर्मचारियों के लिए वैज्ञानिक प्रणाली के माध्यम से कार्यमूल्यांकन करना तथा बाद में निम्नतम वेतन भोगी कर्मचारी के लिए आवश्यकता पर आधारित निम्नतम वेतन को आधार मानकर उन को पुनर्वर्गीकरण करना, ग्रेड का पुनर्निर्धारण करना;

(ख) कार्य मूल्यांकन और पुनर्वर्गीकरण पूरा होने तक, केन्द्रीय उपक्रमों के कर्मचारियों के समकक्ष वेतन ;

(ग) रेल कर्मचारियों के काम के घंटे घटा कर प्रतिदिन 8 घंटे करना ;

4(क) महंगाई भत्ते को जीवन यापन सूचकांक से जोड़ना और 6 महीने की अवधि में प्रत्येक 4 अंक की वृद्धि होने पर उसका पूरा निराकरण ;